RAJYA SABHA

Thursday, the 27th November, 1997/ 6 Agrahayana, 1919 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहब, मेरी एक दरख्वास्त है ...(**व्यवधान**)

‡[جناب سکندر بخت: صدر صاحب۔ میری ایک درخواست ہے ...مداخلت...]

श्री एस० एस० अहलुवालिया: सभापति महोदय, जैन कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट पर ...(**व्यवधान**) उनके खिलाफ कार्रवाई हो ...(**व्यवधान**)

श्री सिकन्दर बख्त: हमारी दरख्वास्त है कि हाऊस चलना चाहिए। अगर हाऊस नहीं चलने दिया गया और हाऊस एडजोर्न हो गया तो हम एज ए प्रोटेस्ट हाऊस में बैठे रहेंगे।...(**व्यवधान**)

‡[جناب سکندر بخت: ہماری درخواست ہے کہ ھاؤس چلنا چاہیے۔ اگر ھاؤس نہیں چلنے دیا گیا اور ھاؤس ایڈجورن ہو گیا تو ہم "ایز اے پروٹیسٹ" ھاؤس میں بیٹھے رہیں گے ...مداخلت...]

श्री एस० एस० अहलुवालिया: सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**) एल०टी०टी०ई० के साथ हाथ मिलाकर डी०एम०के० ने जो षड़तंत्र रचा ...(**व्यवधान**) सारी कोडेड इंफार्मेशन पास की उसके कारण ...(**व्यवधान**) राजीव गांधी की हत्या की गई ...(**व्यवधान**)

श्री संजय निरूपम: महोदय, ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: अब आप अपनी सीट पर जाएं...(**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी: महोदय ...(**व्यवधान**)

---

‡[ ]Transliteration in Arabic Script

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

ठेका श्रमिकों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*121. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायलय ने ठेका श्रमिकों के संबंध में सितम्बर, 1995 में कोई निर्णय दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय में किन-किन महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने ठेका श्रमिकों के लिए चिकित्सा लाभ, आकस्मिक अवकाश कैंटीन, बीमा तथा उनकी मृत्यु की स्थिति में मुआवजा जैसी मूल सुविधाओं से संबंधित विषयों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) क्या सरकार विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत उनके अधिकारों की रक्षा करने हेतु एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) गुजरात इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड थर्मल पॉवर स्टेशन-इकाई-गुजरात बनाम हिन्द मजदूर सभा और अन्यों के मामले में ठेका श्रम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9 मई, 1995 के अधिनिर्णय को सितम्बर, 1995 के माह में आल इण्डिया रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। अधिनिर्णय में निपटाए गए महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं:—

1. अधिनियम की धारा 10 के अधीन इस संबंध में व्यवस्था नहीं की गई है कि उक्त धारा के अंतर्गत् समुचित सरकार द्वारा ठेका श्रम के नियोजन की प्रतिसिद्ध करने वाली अधिसूचना एक बार जारी कर दिए जाने के बाद तत्कालीन ठेकेदार के कर्मकारों की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाएगा।

2. ठेका श्रम के उत्सादन होने की स्थिति में कर्मकारों की स्थिति बदतर हो जाती है क्योंकि वे न तो ठेकेदार द्वारा नियोजित हो सकते हैं और न ही मुख्य नियोक्ता के लिए ऐसी कोई बाध्यता है कि वह अपने प्रतिष्ठान में उन्हें नियोजित करे।

3. हालांकि विधान का उद्देश्य सर्वहितकारी है, तथापि, इसमें ठेका श्रम का उत्सादन कर दिए जाने के बाद के संबंधित कर्मकारों के लिए किसी राहत की व्यवस्था नहीं की गई है।

6° G I P M D /00—1A

4. ठेका श्रम के उत्सादन के बाद मुख्य प्रतिष्ठान में विद्यमान ठेकागत श्रमिकों के स्वतः समायोजन की व्यवस्था न किए जाने के पीछे विधान का औचित्य स्पष्ट नहीं है।

5. तथापि कानून में ऐसी कमियों या लोपों द्वारा औद्योगिक न्यायनिर्णायकों को निरूद्ध नहीं किया जा सकता है।

6. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत ठेकागत सम्बन्ध और नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच किए गए नए ठेकों में परिवर्तन करना औद्योगिक न्यायनिर्णायकों की अधिकारिता के अन्तर्गत है।

7. ऐसे सभी मामलों में जहां ठेका श्रम को समाप्त कर दिया गया है, वहां मामले की तथ्यात्मकता के आधार पर औद्योगिक न्यायनिर्णायक मुख्य नियोक्ता को यह निर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकारी होगा कि वह अपने समक्ष प्रस्तुत संगत सामग्री के आधार पर निर्धारित की गई शर्तों के आधार पर तत्कालीन ठेकेदार के ऐसे कर्मकारों को समायोजित करे।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अन्यों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की कि:—

(क) ऐसे सभी उपक्रम जो ऐसे किसी प्रक्रिया या कार्य में ठेका श्रम पद्धति का नियोजन कर रहे हैं, जो अधिनियम की धारा 10(2) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित कारकों की तुष्टि करते हैं, स्वतः ही ठेका श्रम को रोक देंगे और उतने श्रमिकों को अपने मूल कर्मचारियों के रूप में समायोजित कर लेंगे जितना कि व्यवहार्य हो,

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच करने के लिए समितियों की नियुक्ति करेंगे जिनमें ठेका श्रम नियोजित हैं और जहां अधिनियम की धारा 10(2) के खण्ड (क) से (घ) में निर्धारित किए गए मानदण्डों के आधार पर, ठेका श्रम पद्धति को समाप्त किया जा सकता है और ठेकागत श्रमिक को सीधा रोजगार दिया जा सकता है। समुचित सरकार को चाहिए कि वह अपनी ओर से अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई प्रक्रिया का अनुमान करके संबंधित प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम को समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करे।

(ग) केन्द्रीय सरकार को अधिनियम में संशोधन करना चाहिए और उसमें ऐसे उचित प्रावधान को अन्तर्विष्ट करना चाहिए कि ठेका श्रम को समुचित सरकार द्वारा एक बार समाप्त किए जाने के बाद प्रधान प्रतिष्ठान के तत्कालीन ठेकेदार के कर्मकारों के सीधे रोजगार के प्रश्न को औद्योगिक न्यायनिर्णायक को संदर्भित किया जाए।

(ग) श्रम मंत्रालय के अधीन कार्यरत श्रम ब्यूरो समय-समय पर कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में ठेका श्रम के संबंध में सर्वेक्षण करता है। अभी तक 39 ऐसे सर्वेक्षण किए गए हैं, जिनमें से 38 को रिपोर्टों के रूप में प्रकाशित किया गया है। ये सर्वेक्षण 1956-57 में लौह अयस्क खानों में ठेका श्रम पर सर्वेक्षण करने के साथ शुरू किए गए। इन सर्वेक्षणों में, अन्यों के साथ-साथ, ठेका श्रम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया:—

1. कार्य के घंटे
2. विश्राम समय
3. रात्रि पाली कार्य
4. वेतन सहित अवकाश और छुट्टियां
5. आवास
6. दुर्घटना के लिए प्रतिपूर्ति
7. प्रसूति प्रसुविधा
8. भविष्य निधि
9. उपदान और पेंशन योजना
10. व्यवसाय संघवाद और शिकायत निवारण तंत्र
11. सफाई व्यवस्था
12. धुलाई सुविधा
13. प्रथमोपचार बाक्स

सर्वेक्षण रिपोर्टें सूचनात्मक हैं और ठेका श्रम के क्षेत्र में सरकार के लिए नीति बनाने और विधान बनाने के कार्य के लिए उपयोगी हैं।

(घ) और (ङ) विभिन्न कानूनों के अंतर्गत ठेका श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक व्यापक विधेयक जरूरी नहीं समझा गया है। ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के संशोधन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निदेशों की केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के परामर्श से जांच की जा रही है।

Disposal of Medical Wastes

*122. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Supreme Court had issued certain directive and that, in pursuance of the directive, rules were